तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। प्रार्थीया पार्वती पिता हरलाल खालवी निवासी चिकारड़ा की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का इस आशय का विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध प्रस्तुतकर ग्राम चिकारड़ा के खाता सं. 122 मे वर्णित आराजी नम्बर 20/2360, 989, 991, 993 किता 4 कुल रकबा 1.9110 है. खाता संख्या 125 मे वर्णित आराजी नम्बर 127, 128 किता आराजी 2 कुल रकबा 2.2000 है. खाता संख्या 126 मे वर्णित आराजी नम्बर 994 आ.चा., खाता सं. 962 मे वर्णित आराजी नम्बर 990 आ.चा. व खाता संख्या 127 मे वर्णित आराजी नम्बर 20 रकबा 0.9360 है. भूमि स्थित है। जो प्रार्थीया की पैतृक पुश्तैनी होकर विरासत से प्रार्थीया के पिता हरलाल के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीया का इस आराजीयात में जन्म से ही हक अधिकार निहित होता है इसलिए प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की भूमि की खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है हक अधिकार खातेदारी घोषणा मूल वाद मे तय होगा तब तक के लिए विपक्षी के विरुद्ध राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश चाहा गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज कर विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से श्री पंकज कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रार्थीया को दिलाई गई। वकील प्रार्थीया ने बहस हेतु निवेदन किया जाने पर वकील विपक्षी भी बहस हेतु सहमत होने से वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीया द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों आदि का गहनता से अध्ययन कर परीक्षणोपरान्त पाया गया प्रार्थना पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजियात बाबत हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय होगा तब तक के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मे वर्णित खाता संख्या 122 मे वर्णित आराजी किता 4 कुल रकबा 1.9110 है. खाता संख्या 125 में वर्णित उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी किता 2 कुल रकबा 2.2000 है. खाता संख्या 126 मे वर्णित आराजी नम्बर 994 रकबा 0.0380 है. आ.चा., खाता संख्या 962 मे वर्णित आराजी चाह नम्बर 990 रकबा 0.0760 है. जो कि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 127 मे वर्णित आराजी नम्बर 20 रकबा 0.9360 है. भूमि जो कि वर्तमान समय मे हरलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। इन उपरोक्तानुसार खातों मे वर्णित आराजियात के मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाने का आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण होने तक मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 17/2/26 उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट • डूंगला जि. चित्तौड़गढ़ •

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:[illegible]
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner